प्राकृतिक चिकित्सा के विकास के लिये अनुसंधानशाला

४५९. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या प्राकृतिक चिकित्सा की गवेषणा और उस के विकास के लिये सरकार कोई अनुसंधान-शाला खोलने का विचार रखती है , यदि हां, तो ऐसी अनुसंधानशाला कब और कहां खोली जायेगी और यदि नहीं, तो इस का क्या कारण है ?

†[RESEARCH LABORATORY FOR DEVELOPMENT OF NATURE CURE

459. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of HEALTH be pleased to state whether Government propose to set up a research laboratory for research in and development of Nature Cure; if so, when and where such laboratory will be set up; and if not, the reason therefor?]

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : स्वास्थ्य मंत्रालय की प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रणा समिति ने प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए एक अखिल भारतीय संस्था स्थापित करने की सिफारिश की है। इस समिति ने यह भी स्वीकार किया है कि सब से अच्छा रास्ता यह होगा कि अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा फेडरेशन को एक संस्था के रूप में विकास करने के लिये सहायता दी जाये तथा केन्द्रीय सरकार आवश्यक वित्तीय सहायता दें । यह विषय विचाराधीन है । कुछ चुनी हुई प्राकृतिक चिकित्सा संस्थाओं को अनुसंधान कार्य के लिये आर्थिक सहायता देने का भी विचार है। इस के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं और इन पर प्राकृतिक चिकित्सा मंत्रणा समिति विचार करेगी ।

■KTHE MINISTER OF HEALTH (DR. SUSHILA NAYAR): The Nature Cure Advisory Committee of the Ministry of Health has recommended the establishment of an All India Institute for the development of the Nature Cure System. The Committee also agreed that the best course would be to afford assistance to the All India Nature Cure Federation to develop an institute and for Central Government to give the necessary financial assistance. This matter is under consideration. It is also proposed to give financial assistance to some selected Nature Cure institutions for doing ! research. Applications have been in-' vited and these will be considered ■ by the Nature Cure Advisory Com-I mittee.]

केन्द्रीय चिकित्सा वैधिक मंत्रणा समिति की सिफारिशें

४६०. **श्री भगवत नारायण भार्गव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि केन्द्रीय चिकित्सा वैधिक मंत्रणा समिति ने जिसकी बैठक ३ तथा ४ नवम्बर, १९६१ को हुई थी, क्या क्या सिफारिशें की और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की ?

t [RECOMMENDATIONS OF THE CENTRAL MEDICO LEGAL ADVISORY COMMITTEE

460. SHRI B. N. BHARGAVA; Will the Minister of HEALTH be pleased to state what are the recommendations of the Central Medico Legal Advisory Committee which held its meeting on 3rd and 4th November, 1961 and what action was taken thereon by Government?]

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : केन्द्रीय चिकित्सा वैधिक मंत्रणा समिति की सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्यवाही इस प्रकार है :—

१. अप्राकृतिक मौतों के मामलों की जांच करने वाले अफसर ऐसा कार्य करने के लिये विशेष रूप से प्रशिक्षित किये जायें तथा उन्हें

t [ ] English- translation.

शंकापूर्ण मौतों की जांच पड़ताल के लिये निर्धारित मौजूदा नियमों से पूर्णतया परिचित करवाया जाये ।

२. जितने मामलों में हो सके शव-परीक्षा को प्रोत्साहन दिया जाय तथा जिन मामलों में मृत्यु के निश्चित कारण का पता न चले उन सब में शव-परीक्षा अवश्य हो ।

३. जहां बिजली उपलब्ध हो वहां शव-परीक्षा केन्द्र की आवश्यकताओं के अनुकूल पर्याप्त कोल्ड स्टोरेज सुविधायें दी जानी चाहियें ।

४. सभी शव-परीक्षाओं में भीतरी अंगों का आकार तथा भार अभिलिखित होना चाहिये ।

५. मेडिकल अफसरों को शीघ्र अनुदेश दे दिये जायें कि वे शव-परीक्षाओं के समय सम्बद्ध ऊतकों (ठिसू) को सुरक्षित रख लें जिस से द्वितीय मत प्राप्त करने में इस समय अनुभूत कठिनाई कम हो सके ।

६. राज्य सरकारों को चाहिये कि वे चिकित्सा वैधिक कार्य में मैडिकल अफसरों के प्रशिक्षण के मामले का बड़ी तेजी से अनुसरण करें तथा गत अधिवेशन में की गई समिति की ऐसी ही सिफारिशों की शीघ्र क्रियान्विति के प्रश्न पर सक्रियता से विचार करें ।

७. इस कार्य में केन्द्रीय सरकार को अगुआ बनना चाहिये और एक ऐसी चिकित्सा वैधिक संस्था स्थापित करनी चाहिये जो सीधे उन के ही प्रशासकीय नियंत्रण में काम करे ।

८. अलकोहलिक नशे के सन्देहास्पद यथा-सम्भव मामलों में अलकोहल की मात्रा निश्चित करने के लिये खून व पेशाब की जांच ही जानी चाहिये ।

९. रसायनिक परीक्षकों की रिपोर्टों के प्रकाशन के विषय में देश भर में एकरूपता लाई जाय । इन रिपोर्टों को उचित महत्व दिया जाना चाहिये और इन्हें अलग अलग प्रकाशित किया जाना चाहिये ।

इन सिफारिशों को राज्य सरकारों तथा संघ क्षेत्रों के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है । सिफारिश संख्या ७ में उल्लिखित चिकित्सा वैधिक संस्था की स्थापना का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

t[THE MINISTER OF HEALTH (DR. SUSHILA NAYAR) : The recommendations of the Central Medico Legal Advisory Committee and the action taken thereon are indicated below;

(1) Officers investigating cases of unnatural deaths should be specially trained to undertake such work and be thoroughly familiarised with the existing rules laid down for investigation of suspicious deaths.

(2) Autopsy should be encouraged in as many cases as possible and it must be performed in all cases wheTe the cause of death could not be definitely ascertained.

(3) Where electricity was available, cold storage facilities adequate to the needs of the post-mortem centre might be provided.

(4) In all autopsies the size and •weight of internal organs should be recorded.

(5) Early instructions might be issued to the medical Officers to preserve relevant tissues during autopsies and thereby the difficulty at present experienced in obtaining a second opinion might be reduced.

(6) The State Governments should pursue the matter of training of Medical Officers in Medico Legal work vigorously and actively consider the question of early implementation of the Committee's similar recommendation made at the previous session.

ft] English translation.

(7) The Union Government should give a lead and establish a Medico Legal Institute functioning directly under their administrative control.

(8) Blood and urine might be analysed to determine the concentration of alcohol in as many cases of suspected alcoholic intoxication as possible.

(9) Uniformity should be maintained in the matter of publication of Chemical Examiners' reports throughout the country. The reports should receive the importance due to them and be separately published.

The recommendations have been forwarded to the State Governments and Union Territory Administrations for necessary action. The question of establishing a Medico Legal Institute refert-ed to in recommendation no. 7 is under consideration of the Government of India.]

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा दिये गये सुझाव

४६१. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय जेल तथा विद्युत् आयोग के अधीन जो विशेष एकक गत वर्ष बनाया गया था, उस ने क्या क्या सुझाव दिये ?

t [SUGGESTIONS MADE BY THE CENTRAL WATER AND POWER COMMISSION

461. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state the suggestions made by the special unit formed last year under the Central Water and Power Commission?]

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओ० वी० अलगेसन) : केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के अधीन ऐसा कोई यूनिट नहीं बनाया गया था।

|[THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (SHRI O. V. ALAGESAN): No such unit was formed under the Central Water and Power Commission.]

नदियों का जल-सर्वेक्षण

४६२. श्री भगवत नारायण भार्गव : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कुछ नदियों के जो जल सर्वेक्षण किये गये थे उन के सम्बन्ध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग का प्रतिवेदन सरकार को कब प्राप्त हुआ ; और

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

f]HYDROCRAPHIC SURVEYS OF RrVEHS

462. SHRI B. N. BHARGAVA: Will the Minister of TRANSPORT AND COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) when Government received the report of Central Water and Power Commission regarding the hydrogra-phic surveys of some rivers made last year; and

(b) what are the Commission's recommendations ragarding Inland Water Transport and what action has been taken thereon by Government?].

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में नौवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग ने अभी तक दो रिपोर्ट भेजी हैं। गंगा नदी (इलाहाबाद-कानपुर भाग) के बारे में पहली रिपोर्ट मार्च, १९६२ में मिल गई

t[} English translation.